

तारीख
हुक्म

हुक्म या कोप

तलावी इन्तपार हेतु दिनांक
20/8/19 को पेश हो।
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

20/8/19

पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब
आज भ्रमण पर होने से पत्रावली
दिनांक 20/8/19 को पेश हो।
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

28/8/19

पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब
आज भ्रमण पर होने से पत्रावली
दिनांक 28/8/19 को पेश हो।
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

31/8/19

पत्रावली पेश हुई। यकामरान उपखण्ड
प्रार्थी नहसीनदार संवत्सरा ने एक प्रार्थना
पत्र पेश कर निवेदन किया कि
ग्राम दुर्गापुरा के ग्राम खसरा नं. 378,
382, 404, 405, 422 विभाजित खसरा
नम्बर हैं एवं प्रत्येक के तीन खड़ा
नम्बर हैं। जिसकी स्थिति प्रार्थना पत्र
के संलग्न परिशिष्ट 'अ' के काप्य
1 से 7 अनुसार है। यद्यपि त्रैस में उक्त
खसरा नम्बर की तरगीज नहीं है।
श्रीके पर शालिघां, रांके बने हुए है।
उपरोक्त अनुसार नम्बरो में तरगीज
किया जाना सम्भव नहीं है। अतः
संगत नया नम्बरान का स्वीकारण
कर उपरोक्त परिशिष्ट 'अ' के

कार्य
उपनेरा
सम्बन्ध
जोडिया
उप

देवराज
नारायणराज

जजाराज
कुंवरदास
गिरधारीराम

श्रीराम
देवराज


जेडी डी
सरच
ग्राम बंजवत दुर्गापुरा
बं.स. पाठेदी (नारायण)

वापस हो से 13 अनुधार एकी कमाने
का आदेश पारगार्ये ।

इस संख्या-2 में निष्कर्षों को
नोटिस जारी किए गए । निष्कर्षों
द्वारा एक संगठन समिति का पेश
काद बताया की प्रार्थी सहजीवदार
पंचपरों द्वारा प्रताप अनुधार यदि
स्वयसे का एकीकरण किया जाता है
तो हम सहमत हैं एवं यह एगरे
रहित में है ।

सहजीवदार पंचपरों द्वारा प्रतुल
प्रार्थना पत्र पर - गायण्य द्वारा विचार
लिया गया । अंत में पर स्वातंत्र्य
की बाधियां, रंकि कने हुए हैं ।
नरमिज किया जाना सम्भव नहीं है ।
एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाता है एवं परिशिष्ट 'अ'
के कारण से से 13 अनुधार स्वयसे
का एकीकरण किए जाने का आदेश
दिया जाता है । सहजीवदार पंचपरों
को आदेश दिया जाता है कि
विशेष अनुधार राजवन रेकॉर्ड में
अंगत दरगद किया जाए । प्रार्थी
द्वारा प्रतुल परिशिष्ट 'अ' निमित्त
का आज जाना जाए ।

विशेष अंगत प्रिनाके 3/3/13 को
अध्यालय में सुनाया गया ।


आयक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा.